

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक: प.8(18)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 14/11/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री मुकेश कुमार गुर्जर, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/93/11) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं04, जयपुर महानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, जयपुर महानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार गुर्जर, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04, जयपुर महानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

ह०

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।
- 9 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं04, जयपुर महानगर।
- 10 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


14/11/19

(जगमोहन शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक: प.8(18)राज/वाद/19

जयपुर, दिनांक 14/11/19

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (3) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2) 16 एवं 17 के अनुसार श्री सत्येन्द्र सिंह, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/586/97) को अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं015, जयपुर महानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं015, जयपुर महानगर के रिक्त पद पर मासिक रिटेंरशिप रूपये 14,700/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 विशेषाधिकारी (वाई) मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त महाधिवक्तागण, जयपुर/जोधपुर।
- 7 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 8 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर, जयपुर।
- 9 अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं015, जयपुर महानगर।
- 10 जिला कलक्टर, जयपुर।
- 11 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 12 संबंधित अभियोजक।
- 13 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 14 समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
- 15 लेखाधिकारी, विधि(वादकरण) विभाग।
- 16 प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 17 रक्षित पत्रावली।


14-11-2019

(जगमोहन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण